

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 1979/पौष 25, 1900

No. 26] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 1979/PAUSA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी गयी है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1979

का. आ. 28(अ).—केंद्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 21(स्था.), तारीख 18 जनवरी, 1978 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18 व ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित किया था कि 15 दिसम्बर, 1977 से पूर्व की गई और राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रवृत्त और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सम्बद्ध सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंजाबों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का, जिनका बंगाल कीमकल एण्ड फार्मस्यूटिकल वर्क्स लि., कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम

एक पक्षकार हैं या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हों, प्रवर्तन राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्राप्‍त या उत्‍पन्न होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्‍व उक्त अवधिपर्यन्त निलंबित रहेंगे ;

और केन्‍द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि को 14 दिसम्‍बर, 1979 तक और बढ़ा दिया जाए ;

अतः, अब, केन्‍द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ख ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि को 14 दिसम्‍बर 1979 तक की अवधि के लिए और बढ़ाती हैं ।

[सं. फा. 4/26/76-सी.यू.सी.]

रमेश नाथ सोपड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 15th January, 1979

S.O. 28(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 21(E) dated the 16th January, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements awards, standing orders or other instruments entered into before the 15th December, 1977 and in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and relating to banks and financial institutions to which the industrial undertaking known as Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from the date of publication of the said Order and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 14th December, 1979 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extend the duration of the said Order by a further period upto the 14th December, 1979.

[File No. 4/26/76-CUC]

R. N. CHOPRA, Jt. Secy.